"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2–22–छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई,दिनांक 30–05–2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012–2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 529] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 28 नवम्बर 2013—अग्रहायण 7, शक 1935

राज भवन

रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1–3/2013/रास/यू–5.— छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2005 (क्रमांक 25 वर्ष 2005) की धारा 12 की उप धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, शेखर दत्त कुलाधिपति, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई (छ. ग.) उक्त विश्वविद्यालय में कुलपति के चयन हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों की एक तालिका अनुशंसित करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति नियुक्त करता हूँ :-

1.	श्री एस. के. मिश्र, सेवानिवृत्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, 37, मौलश्री विहार, पुरैना, रायपुर (छ. ग.)	कुलाधिपति द्वारा नाम निर्देशित
2.	डॉ. के.एम. कावेरिअप्पा, भूतपूर्व कुलपति, मंगलोर विश्वविद्यालय, कर्नाटक बी-1, गगनपारा एच. डी. देवगौडा रोड, आर. टी. नगर, बंगलोर-32	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित
3.	प्रोफेसर आर. के. शेवगांवकर, निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली	विश्वविद्यालय के कार्य-परिषद् द्वारा अनुशंसित

और श्री एस. के. मिश्र को मैं समिति का अध्यक्ष नियुक्त करता हूँ.

2. समिति, अधिसूचना प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में उपरोक्तानुसार तालिका प्रस्तुत करेगी.

हस्ता./-

(शेखर दत्त)

कुलाधिपति,

छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय

भिलाई.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2013.